IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, January 2022
Impact Factor: 6.252

भारत में महिला सशक्तिकरण

डॉ. संध्या शुक्ला[1] and वंदना वर्मा[2]

विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग[1]

एम.ए. एम.फिल (राजनीति विज्ञान)[2]

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांशः समाज राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को लेकर चिंतन में एक विश्वव्यापी बदलाव आया है और महिला विकास व उसके सशक्तिकरण को लेकर एक अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है। महिलायें भी इस चिंतन की सार्थकता सिद्ध करने के लिये जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी अंर्तनिहित खमता का प्रमाण दे रही है। चाहे वह खलिहानों में हाथ बंटाने का कार्य हो या लड़ाकू विमानो की पायलेट बन सीमा रक्षा करने का दायित्व हो या माँ, पत्नी बन गृहस्थी को संवारने का क्षेत्र हो। महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की मांग हर देश में ही जाने लगी है।

मुख्य शब्दः निर्धनता में कमी, अशिक्षा, क्रूरता, जातियां, रीति–रिवाज, परम्पराएं, अत्याचार, सम्मान और शिष्टता, परदा प्रथा, भ्रूण हत्या आदि।

उद्देश्यः

महिला सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं की क्षमता से है जिससे उनमें ये योग्यता आ जाती है, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय ले सकती हैं, 8 मार्च को पूरे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। सही मायने में इस महिला दिन का उद्देश्य क्या है। हमें ये समझना होगा देश की तरक्की करनी है तो महिलाओं को सशक्त बनाना होगा।

महिला सशक्तिकरण के निम्नलिखित उद्देश्यः

1. महिलाओं को सूक्ष्म (अल्प) ऋण सुविधाएं प्रदान करना।
2. आई एम ओज तथा महिला लाभार्थियों की क्षमता का निर्माण।
3. महिलाओं के विकास के लिए वित्तीय और सामाजिक विकास सेवा पैकेज के प्राविधान के लिए वित्तीय और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास के साधन के रूप में ऋण प्रदान अथवा इसका प्रोत्साहन करने के लिए गतिविधियाँ चलाना या उनको प्रोत्साहित करना।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, January 2022
Impact Factor: 6.252

4. महिलाओं को ऋण प्रदान करने से संबंधित सुविधाओं में सुधार के लिए सहायता योजनाओं को प्रोत्साहित करना और सहायता करना– 1. उनके विद्यमान रोजगार को बनाए रखने के लिए, 2. अतिरिक्त रोजगार के सृजन के लिए, 3. सम्पत्ति बनाने के लिए एवं 4. उपभोग, सामाजिक और आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए।
5. आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाले ऋण संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए महिला समूहों वाले संगठनों में भागीदारी प्रवित्तियों का प्रदर्शन एवं पुनरावृत्ति (रेप्लिकेट) करना।
6. ऋण एवं अन्य सामाजिक सेवाओं के साथ गरीब महिलाओं तक पहुँचने के लिये अभिनव प्रविधियों का प्रयोग करते हुए स्वैच्छिक और औपचारिक क्षेत्र में परीक्षणों को प्रोत्साहित करना और सहायता करना।
7. महिलाओं में उद्यमिता क्षमता के विस्तार को प्रोत्साहित करना और सहायता करना।
8. विद्यमान सरकारी वितरण तंत्र को संवेदनशील बनाना और परम्परागत संस्थानों के साथ एक मजबूत और व्यवहार ग्राहक के रूप में गरीब महिलाओं के परिदृश्य को बढ़ाना।
9. सफल ऋण विस्तार और प्रबंधन तंत्रों की पुनरावृत्ति और वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर ऋण और इसके प्रबंध तथा सफलता के अनुभवों को फैलोशिप और छात्रवृत्ति के प्राविधानों सहित अनुसंधान, अध्ययन प्रलेखन और विश्लेषण को प्रोत्साहित करना।

विश्लेषण:

जीवन के सभी क्षेत्रों में आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं और महिला सशक्तिकरण एक बहुचर्चित मुद्दा बन चुका है। घर के अंदर या बाहर सभी जगहों पर महिलाएं अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण रखती हैं और वे अपनी शिक्षा, व्यवसाय या जीवन शैली से संबंधित सभी निर्णय स्वयं लेते हुए अपना नियंत्रण कायम करने में कामयाब हो रही हैं। कामकाजी महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होने की वजह से महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और इस वजह से उन्हें अपने जीवन का नेतृत्व खुद करने एवं अपनी पहचान बनाने का आत्मविश्वास भी प्राप्त हुआ है। वे सफलतापूर्वक विविध व्यवसायों को अपनाकर यह साबित करने का प्रयास कर रही हैं कि वे किसी भी महिलाएं अपने व्यवसाय के साथ–साथ अच्छी तरह से अपने घर एवं परिवार के लिए प्रतिबद्धता के बीच संतुलन कायम रखने पर भी ध्यान देती हैं वे उल्लेखनीय स्वभाव के साथ आसानी से माँ, बेटी, बहन, पत्नी एवं सक्रिय पेशवर जैसी कई भूमिकाएं एक साथ निभाने में कामयाब हो रही हैं। काम करने के समान अवसरों के साथ वे टीम वर्क की भावना के साथ तय समय सीमा के भीतर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने–अपने व्यवसायों में पुरुष समकक्षों को हर संभव सहयोग दे रही है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, January 2022
Impact Factor: 6.252

महिला सशक्तिकरण सिर्फ शहरी कामकाजी महिलाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि दूर–दराज के कस्बों एवं गाँवों में भी महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर रही है। वे पढ़ी–लिखी हो या न हो, अब किसी भी मायने में अपने पुरुष समकक्षों से पीछे नहीं रहना चाहती। अपनी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना वे अपने सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है और साथ ही अपनी उपस्थिति भी महसूस करा रही है। हालांकि यह भी सच है कि ज्यादातर महिलाओं को अब समाज में बड़े भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भी उनमें से कई को विभिन्न प्रकार के भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़नों से दो चार होना पड़ता है और वे अक्सर बलात्कार, शोषण और अन्रू प्रकार के शारीरिक और बौद्धिक हिंसा का शिकार हो जाती हैं।

सही मायनों में महिला सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब समाज में महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन लाया जा सके और उनके साथ उचित सम्मान, गरिमा, निष्पक्षता और समानता का व्यवहार किया जाए। देश के ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सामंती और मध्ययुगीन दृष्टिकोण का वर्चस्व है और वहां महिलाओं को उनकी शिक्षा, विवाह, ड्रेस कोड, व्यवसाय एवं सामाजिक संबंधों इत्यादि में समानता का दर्जा नहीं दिया जाता है। उम्मीद करना चाहिए कि जल्दी ही महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास हमारे विशाल देश के प्रगतिशील एवं पिछड़े क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण का प्रभावः

महिला का स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है महिला को ही सृष्टि रचना का मूल आधार कहा गया है। महिला समाज का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग है क्योंकि विश्व की आधी जनसंख्या तकरीबन इन्हीं की है। महिलाएं आज भी पूरी तरह सशक्त नहीं हुई हैं, इसका सबसे बड़ा कारण आए दिन होने वाली तमाम घटनाएं हैं, जिसमें वे तरह–तरह की हिंसा का शिकार हो रही हैं। बाहर एवं घर परिवार में हो रही हिंसा को मिटाए बिना समाज में महिला सशक्तिकरण का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता है।

1. महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता उनको अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति सजग होने की है। यदि महिलायें अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति सजग और आत्मनिर्भर है तो उसका आत्मसम्मान अवश्य ऊँचा होगा और वे देश कि विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
2. शिक्षा महिला सशक्तिकरण में मुख्य भूमिका निभा सकती है शिक्षा मनुष्य के आचार–विचार व्यवहार सभी में परिवर्तन कर देती है। इसके बार शिक्षा 1962 में हंसा मेहता समिति का गठन किया। कोठारी आयोग (1964–66) ने स्त्री पुरुषों के लिए भिन्न–भिन्न पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया। साथ ही कोठारी

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, January 2022
Impact Factor: 6.252

आयोग ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा हेतु आधारभूत पाठ्यचर्चा प्रस्तुत की इसका प्रभाव यह हुआ कि भिन्न–भिन्न प्रांतों में स्त्री–शिक्षा को भिन्न–भिन्न रूप में संगठित किया गया।

3. 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। शिक्षा में कोई भेद नहीं किया जाएगा नारी को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा इसके अलावा स्त्रियों को विज्ञान, तकनीकी और मैनेजमेंट की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
4. 2 अक्टूबर 1946 को शिक्षा आयोग के उद्घाटन भाषण में श्री एम.सी. छागला ने भी संकेत किया था– ''एक शिक्षित नारी का प्रभाव चमत्कारी होता है और उसका प्रभाव समाज पर प्रभावकारी होता है। अतः महिला शिक्षा बहुत ही आवश्यक है।''
5. चूँकि आज की नारी का कार्यक्षेत्र परिवार तक ही सीमित नहीं रह गया है। उसे अपने कार्यस्थल पर भी अनेक रूपों में अपना दायित्व भली–भांति निर्वहन करना पड़ता है। इस प्रकार एक ही नारी को एक दिन में कई प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है। अतः स्पष्ट है कि नारी शक्तिरूपा है, जगत जननी है। नारी के संबंध में यहां तक कहा गया है कि उसमें पृथ्वी के समान क्षमा, सूर्य के समान तेज, समुद्र के समान गम्भीरता, चन्द्रमा के समान शीतलता एवं पर्वत के समान उच्चता के दर्शन होते हैं। अस्तु कहा जा सकता है कि युग चाहे जो भी हो संसार की तरक्की नारी के विकास पर ही आधारित है।

शोध परिकल्पनाः

महिला सशक्तिकरण से संबंधित निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण शोधार्थी ने किया है–

1. तत्कालीन समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्राि जैसे विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयाँ प्रचालित थीं जिसने, महिलाओं की स्थिति को अत्यंत ही दयनीय बना रखा था। विभिन्न समाज सुधारकों तथा नेताओं ने उनकी इस स्थिति को सुधारने का प्रयास किया और सफलता भी पाई। महिलाओं के उत्थान तथा सशक्तिकरण के लिए अपने विचारों तथा कार्यों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2. महिला सशक्तिकरण के लिए मूल सिद्धांत है कि महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, वित्तीय सुरक्षा, न्यायिक शक्ति और वे सारे अधिकार जो पुरुषों को प्राप्त है वह मिलना चाहिए। मतलब ये कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकारों का आनंद मिलना चाहिए।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, January 2022
Impact Factor: 6.252

3. अगर साफ शब्दों में कहें लिंग आधारित कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। हालांकि परंपरागत मानदण्ड और ये प्रथा तेजी से बदल रहे हैं, फिर भी महिलाओं को ये जानना चाहिए कि उनके मूल और सामाजिक अधिकार क्या है।
4. सशस्त्र महिलाओं का मतलब है कि महिलाओं को अपने व्यक्तिगत लाभों के साथ ही साथ समाज के लिए अपने स्वयं के निर्णय ले सकने में सक्षम हो। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये कि अब ये महिलाओं के साथ पितृसत्ता का स्थान ले रही है।
5. सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई मजबूत कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। अपने अधिकार व कर्त्तव्य को जानने के लिए महिलाओं को शिक्षित होना होगा। शिक्षा के बिना नारी सशक्तिकरण की परिकल्पना संभव नहीं है।

पूर्व में किये गये शोध कार्यों का सर्वेक्षणः

1. अशोक प्रताप सिंह (2015) ''उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का उनके वैयक्तिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में अध्ययन'' (कुमाऊँ विश्वविद्यालय की शिक्षाशास्त्र में पी–एच.डी उपाधि हेतु प्रस्तुत)
2. कु. दीप्ती राठौर (2016) ''74वें संविधान संशोधन के पश्चात् महिला सशक्तिकरण में नगरीय निकायों की भूमिका'' (जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में पी–ए.डी के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय में पी–एच.डी उपाधि हेतु प्रस्तुत)
3. शुक्ला डॉ. मंजू (2011) लेखिका के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उनका साक्षर होना आवश्यक है जिसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला है। इसे प्रचारित–प्रसारित किया जाना चाहिये। सशक्तिकरण स्वयं के प्रयासों से प्राप्त होता है। जिसके लिए महिलाओं में चेतना जागृति आवश्यक है। कार्ल (1995) के अनुसार सशक्तिकरण की प्रक्रिया व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों है क्योंकि व्यक्तियों में समूह के माध्यम से ही जागृति आती है और उनमें स्वयं को संगठित कर क्षमताओं का विकास होता है।
4. मिश्रा डॉ. आर.के. (2011) इस अध्ययन में महिला उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर है। बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना, अपहरण आदि घटनाये आज भी घटित हो रही है। प्राचीन युग से वर्तमान युग में उत्पीड़न की मात्रा बढ़ती जा रही लेकिन यह उत्पीड़न समाप्त नहीं हुआ। यह घोर विडम्बना

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, January 2022
Impact Factor: 6.252

ही है कि इक्कीसवीं सदी के लोकतंत्र में नाबालिग या बालिग अकेली महिला की अस्मत सुरक्षित नहीं है। इस ओर सरकार व समाज को कारगर कदम उठाने चाहिए। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग ने उचित योजनाएं बनायी हैं जिससे उन्हें उत्पीड़न हिंसा जैसी बराईयों से निकाला जा सके।

शोध प्रविधिः

प्रस्तुत अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया जाएगा। द्वितीयक समंकों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन, जनगणना प्रकाशन, सांख्यिकीय प्रकाशनों, स्वास्थ्य गत समंकों, रोजगार समंको, सांख्यिकीय पुस्तिाकाओं के माध्यम से प्राप्त आँकड़ों को द्वितीयक समंकों के रूप में उपयोग कर उनके सारणीयन विश्लेषण के आधार पर प्रतिशत, विकास दर, प्रवृत्तिमान जैसे सांख्यिकी विधियों का उपयोग कर तथ्यों का सार्थक प्रस्तुतीकरण के लिए ग्राफ, चार्ट व रेखाचित्रों का उपयोग कर निष्कर्षों को सार्थक ढ़ंग से प्रस्तुत कर विषय–वस्तु की प्रस्तुति दी जाएगी।

निष्कर्षः

दुनिया भर में समकालीन समाजों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के मोर्चों पर परिवर्तन की प्रमुख प्रक्रियाएं चल रही हैं। हालांकि इन प्रक्रियाओं को संतुलित तरीके से लागू नहीं किया जा सका है और इस वजह से पूरी दुनिया में लैंगिक असमानता बढ़ रही है और इस वजह से महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित है। इस स्थिति ने महिला सशक्तिकरण की गति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है इसलिए हमें एक पूरी तरह से बदले हुए समाज की आवश्यकता है जिसमें महिलाओं के विकास के समान अवसर प्रदान किए जा सकें ताकि वे पुरुष समकक्षों के साथ व्यापक रूप से समाज के विकास के लिए जरूरी सभी कारकों के समान रूप से अपना योगदान दे सकें।

संदर्भ ग्रंथः

[1]. सिंह गौरव महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास एवं संवैधानिक व्यवस्थाएं आन्वीक्षिकि (शोध पत्रिका) 2013, पृ. 64

[2]. अंसारी एम.ए. महिला और मानवाधिकार, जयपुर 2007, पृ. 224

[3]. शर्मा रमा, मिश्रा एम. के महिला विकास 2012 अर्जुन पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली।

[4]. देशबंधु बिलासपुर–8 मार्च 2013

[5]. पाण्डेय मनोज कुमार, नारी साम्राज्य, विश्व भारतीय प्रकाशन 2008, पृ. 120

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, January 2022
Impact Factor: 6.252

[6]. टी. राधाकृष्णा, मध्यप्रदेश महिला नीति भोपाल, 1997, पृ. 11–14

[7]. श्रीवास्तव रागिनी, आधुनिक समाज एवं महिलाएं इंदौर, 2011, पृ. 21

[8]. आचार्य सम्राट श्री देवेन्द्रमुनी जी, भारतीय वाङ्मय में नारी, नई दिल्ली 2006, पृ. 24

[9]. जे.सी. अग्रवाल (1 जनवरी 2009) भारत में नारी शिक्षा प्रभात प्रकाशन, आई.एस.बी.एन. 97–81–85828–77–0